

2015 का विधेयक संख्यांक 6

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 4 का संशोधन।
3. धारा 7 का संशोधन।
4. धारा 21 का संशोधन।
5. धारा 34 का संशोधन।
6. नई धारा 50-क का अन्तःस्थापन।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संक्षिप्त नाम। (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
- 5 2. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें धारा 4 का संशोधन। इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में, "5,00,000/-" अंकों और चिन्हों के स्थान पर "8,00,000/-" अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।
- 10 3. मूल अधिनियम की धारा 7 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर धारा 7 का संशोधन। निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :-  
"परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो विक्रय के लिए माल का आयात करता है, राज्य के बाहर से आयात किए गए ऐसे माल के विक्रय पर, वास्तविक आधार पर अर्थात् राज्य के भीतर ऐसे माल के विक्रय पर लागू कर के अनुसार, कर का संदाय करेगा।"
- 15 4. मूल अधिनियम की धारा 21 में,— धारा 21 का संशोधन।  
(क) उपधारा (1) में, "तो व्यौहारी" शब्दों के पश्चात् "विहित रीति में" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के परन्तुक में, "पन्द्रह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात् आए विद्यमान स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

धारा 34 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (12) के प्रथम परन्तुक में, "बाहर जाने वाले" शब्दों के पश्चात् "या प्रवेश करने वाले" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

5

नई धारा 50-क का अन्तःस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 50 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"50-क. कर पहचान संख्या की लॉकिंग और ई-सर्विसिज का स्थगन.—(1) धारा 50 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति या ब्याज को संदत्त करने में असफल रहता है या विहित तारीख तक विवरणी (विवरणियों) को प्रस्तुत करने में असफल रहता है या उसने अपूर्ण या गलत विवरणी दाखिल की है या विभाग द्वारा प्रयोग किए जा रहे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध डाटा के अनुसार संव्यवहार संचालित तो किए हैं किन्तु तत्स्थानी विवरणियाँ दाखिल नहीं की हैं या घोषित स्थान पर कोई कारबार संचालित नहीं किया जा रहा है और जानबूझकर नोटिस की तामील से बच रहा है या किसी नोटिस की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहा है, तो विहित प्राधिकारी या निर्धारण प्राधिकारी अगले उच्चतर प्राधिकारी का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, किसी अन्य कार्रवाई, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके विरुद्ध की जाए, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी कर पहचान संख्या को लॉक कर सकेगा और या उसके द्वारा उपयोग की जा रही ई-सर्विसिज को, जैसा वह उचित समझे, स्थगित कर सकेगा :

10

15

20

25

परन्तु ऐसे प्राधिकारी द्वारा कर पहचान संख्या की लॉकिंग और या ई-सर्विसिज के स्थगन के तुरन्त पश्चात् सम्बद्ध व्यक्ति को की गई



कार्रवाई के बारे में, उसके कारणों सहित सूचित करते हुए नोटिस जारी किया जाएगा। लॉक कर पहचान संख्या और स्थगित की गई ई-सर्विसिज को, यथास्थिति, कर, ब्याज, शास्ति के संदाय या अतिशोध्य विवरणियों को प्रस्तुत करने के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के तुरन्त पश्चात् या किसी अन्य कार्रवाई, जो ऐसे व्यक्ति को करने के लिए निदेशित की गई है, की अनुपालना पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

5

(2) उन समस्त मामलों में जहां उप-नियम (1) के अधीन कर पहचान संख्या लॉक कर दी गई है या ई-सर्विसिज स्थगित कर दी गई हैं या प्रत्यावर्तित कर दी गई हैं तो ऐसा प्राधिकारी विभाग की वैबसाइट पर तथ्यों को प्रदर्शित करेगा और चौबीस घण्टे के भीतर आयुक्त को भी सूचित करेगा।

10

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "कर पहचान संख्या की लॉकिंग और ई-सर्विसिज के स्थगन" से सम्बद्ध व्यक्ति के माल के अन्तरराज्यिक संचलन पर अस्थायी रोक लगाना और विभाग द्वारा सत्यापन, अनुपालन के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपलब्ध करवाई जा रही ई-सर्विसिज को रोकना अभिप्रेत है।"

15

अधिप्रमाणित

मन्त्री (आबकारी एवं कराधान),  
हिमाचल प्रदेश

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (5) का खण्ड (ग) लघु स्थापनों, जैसे कि होटल, रेस्तरां, बेकरी या अन्य समरूप स्थापनों, जिनमें चाय सहित, तैयार खाद्य पदार्थों को परोसा जाता है और जिनका वर्ष के दौरान सकल आवर्त 5,00,000/- (पांच लाख) रुपए तक है, को रजिस्ट्रीकरण करने से और कर का संदाय करने से छूट प्रदान करता है। यह पाया गया है कि 5,00,000/- (पांच लाख) रुपए की कराधेय राशि की यह सीमा बहुत कम है, इसलिए इसे बढ़ाकर 8,00,000/- (आठ लाख) रुपए तक करने का प्रस्ताव किया गया है। ऐसे व्यौहारियों का रजिस्ट्रीकरण, उनसे प्राप्य (प्राप्त हुई) आय के अननुपात में केवल कार्य की ही और वृद्धि करता है। इसलिए, ढाबों, हलवाई, चाय और चाट की दुकानों तथा अन्य भोजनालयों, जिनका वर्ष के दौरान सकल आवर्त आठ लाख रुपए तक है, को कर के संदाय से छूट देना आवश्यक समझा गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझा गया है कि एकमुश्त कर के संदाय की स्कीम को, अन्तरराज्यिक क्रय करने वाले व्यौहारियों को, विकल्प देने हेतु समर्थ बनाने के लिए, विस्तारित किया जाए जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की वसूली करना सरल हो जाएगा। बहुउद्देशीय बैरिअरों पर भीड़ कम करने के दृष्टिगत और इसके अतिरिक्त, अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य के क्रम में कारबार करने वाले व्यौहारियों को परेशानी रहित सेवाएं प्रदान करने हेतु यह उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है कि राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले यान के स्वामियों या माल वाहन या जलयान के प्रभारी व्यक्ति द्वारा और जिसने विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली प्ररूप मू. प. क. 26-क में यान या जलयान में लाए गए माल की पूर्ण घोषणा कर दी है, द्वारा ऐसे यान को किसी चैक पोस्ट या बैरिअर पर रोकना अनिवार्य नहीं होगा, तथापि चैक पोस्ट या बैरिअर का प्रभारी अधिकारी या चैक पोस्ट या बैरिअर पर तैनात आबकारी एवं कराधान निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, यदि अपेक्षित हो, तो धारा 34 के प्रयोजन के लिए ऐसे यान या जलयान को रोक सकेगा। इस प्रकार, धारा 34 के उपबन्धों को माल की इलेक्ट्रॉनिकली घोषणा की पद्धति के अनुरूप लाने के आशय से उपयुक्त संशोधन करने अनिवार्य समझे गए हैं। इसके अतिरिक्त निर्णीत निर्धारण के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाने और इससे सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु और निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यौहारियों को कार्यालय में बुलाने की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में सामर्थ्यकारी उपबन्ध करना अनिवार्य समझा गया है। इसके अतिरिक्त दक्ष कर प्रशासन की व्यवस्था करने और बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के आशय से निर्धारण प्राधिकारी को कर पहचान संख्या (टिन) को लॉक करने और व्यतिक्रमी और अनुत्तरदायी व्यौहारियों की दशा में ई-सर्विसिज स्थगित करने हेतु अनुज्ञात किया जाना प्रस्तावित है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को तदनुसार संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रकाश चौधरी)

प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2015

अधिप्रमाणित

मन्त्री (आबकारी एवं कराधान)  
हिमाचल प्रदेश



## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित किए जाने के फलस्वरूप राजकोष में नाममात्र की कमी होगी जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

---

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 4 राज्य सरकार को कर के निर्धारण की रीति विहित करने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

---

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्या: ईएक्सएन-एफ(10)-2/2015)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015 की विषय-वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

---

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।


(प्रकाश चौधरी)  
प्रभारी मन्त्री।

(देवेन्द्र कुमार शर्मा)  
प्रधान सचिव (विधि)।

अधिप्रमाणित

शिमला :

तारीख : ....., 2015

  
मन्त्री (आयकर एवं कराधान)  
हिमाचल प्रदेश



इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

4. कर का भार.—(1) धारा 6, 7 और धारा 16 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन, प्रत्येक व्यौहारी (धारा 9 के अधीन कर मुक्त घोषित माल में अनन्य रूप से कारबार कर रहे के सिवाए) जिसका सकल आवर्त इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कराधेय मात्रा से अधिक था, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् किए गए सभी विक्रयों और क्रयों पर इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी होगा।

(2) प्रत्येक व्यौहारी जो धारा 9 के अधीन कर-मुक्त घोषित किए गए माल का अनन्य रूप से कारबार नहीं करता है तो वह इस अधिनियम के अधीन उस तारीख से, जिससे उसका सकल आवर्त किसी भी वर्ष में कराधेय मात्रा से प्रथमतः अधिक हो जाता है, कर संदत्त करने का दायी होगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी माल के विक्रय पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा यदि इस अधिनियम के अधीन उनके क्रय पर कर उद्गृहीत किया गया है।

(4) प्रत्येक व्यौहारी, जो इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी हो गया है, तीन क्रमवर्ती वर्षों के अवसान तक, जिनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान उसका सकल आवर्त कराधेय मात्रा से अधिक होने में असफल रहा है और ऐसे अवसान की तारीख के पश्चात् ऐसी अतिरिक्त अवधि तक, जैसी विहित की जाए, इस प्रकार दायित्वाधीन बना रहेगा और इसके पश्चात्पूर्वी अवधि के अवसान पर उसका कर देने का दायित्व समाप्त हो जाएगा।

(5) प्रत्येक व्यौहारी, जिसका उप-धारा (4) के उपबन्धों के अधीन कर संदत्त करने का दायित्व समाप्त हो गया है, इस अधिनियम के अधीन उस तारीख से, जिसको उस का सकल आवर्त प्रथमतः कराधेय मात्रा से अधिक हो जाता है, कर संदत्त करने का पुनः दायी होगा।

(6) इस अधिनियम में, 'कराधेय मात्रा' पद से अभिप्रेत है,—

(क) किसी व्यौहारी के सम्बन्ध में, जो किसी माल के विक्रय के लिए अथवा विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोगार्थ हिमाचल प्रदेश में किसी माल का आयात करता है ... एक रुपया;

(ख) किसी व्यौहारी के सम्बन्ध में, जो विक्रय के लिए किसी माल का स्वयं विनिर्माण या उत्पादन करता है ... 4,00,000/- रुपये;



(ग) किसी व्यौहारी के सम्बन्ध में, जो होटल, रेस्तरां, बेकरी या अन्य ऐसा ही स्थापन चलाता है, जिसमें चाय सहित तैयार खाद्य पदार्थ परोसे जाते हैं ... 5,00,000/- रुपये;

(घ) खण्ड (क), (ख), और/या (ग) के अन्तर्गत न आने वाले व्यौहारियों के किसी विशिष्ट वर्ग के सम्बन्ध में, ऐसी राशि जो विहित की जाए; या

(ङ) किसी अन्य व्यौहारी के सम्बन्ध में ... 8,00,000/- रुपये :

परन्तु इस खण्ड के अधीन पहले से ही रजिस्ट्रीकृत व्यौहारियों का रजिस्ट्रीकरण तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका आवर्त प्रत्येक तीन क्रमवर्ती वर्षों में उप-धारा (4) के अधीन उन्हें रद्दकरण का हकदार नहीं बनाता है।

**7. उपधारणात्मक कर का उद्ग्रहण.**—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जिसका सकल आवर्त किसी भी वर्ष में ऐसी रकम से अधिक नहीं होता है, जो विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के बदले, यथास्थिति, विक्रयों या क्रयों की सम्पूर्ण कराधेय आवर्त पर, धारा 6 में विनिर्दिष्ट दरों से अनधिक, ऐसी दरों पर, जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन और ऐसी रीति में जो विहित की जाएं, उपधारणात्मक कर संदत्त करेगा :

परन्तु ऐसे व्यौहारियों को कोई आगत कर प्रत्यय (इनपुट टैक्स क्रेडिट) उपलब्ध नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ईट भट्टा स्वामी के सिवाय कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो विक्रय के लिए या विक्रय के लिए किसी भी प्रकार के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग के लिए किसी माल का आयात करता है, तो वह इस धारा के अधीन उपधारणात्मक कर का संदाय करने का हकदार नहीं होगा।

**21. कर का निर्धारण.**—(1) व्यौहारी द्वारा दाखिल की गई विवरणियों को सम्यक् रूप से विहित रीति में अभिस्वीकृत किया जाएगा और जहां किसी भी वर्ष से सम्बन्धित समस्त विवरणियां दाखिल कर दी हैं और तात्विक विशिष्टियों में सही और पूर्ण हैं तो व्यौहारी, उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन, उस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया समझा जाएगा :

परन्तु जहां विवरणियां तात्विक विशिष्टियों में पूर्ण नहीं हैं तो व्यौहारी को नोटिस की तामील से पन्द्रह दिन के भीतर उन्हें पूर्ण करने का अवसर दिया जाएगा।

**स्पष्टीकरण.**—उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विवरणी.—

(i) तभी सही समझी जाएगी यदि इसका संस्करण (वर्शन) व्यौहारी द्वारा अनुरक्षित लेखों के अनुरूप है और लेखा संस्करण (अकाउन्ट वर्शन) आगामी वर्ष के 31 दिसम्बर तक अभिलेख पर उपलब्ध किसी प्रतिकूल सूचना द्वारा अधिक्षिप्त नहीं किया जा सकता है;



और:

(ii) तात्विक विशिष्टियों में, तभी पूर्ण समझी जाएगी यदि इसमें प्रस्तुत की जाने के लिए अपेक्षित समस्त सूचना, अंकगणितीय रूप में सही है और वैधानिक या विहित सूचियां, दस्तावेज तथा विवरणियों के अनुसार देय कर की पूर्ण रकम के संदाय का सबूत इनके साथ संलग्न और व्यौहारी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित है।

(2) राज्य सरकार उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यौहारियों द्वारा दाखिल विवरणियों की समीक्षा हेतु मामलों के चयन की रीति विहित कर सकेगी और निर्धारण प्राधिकारी, प्रत्येक चयनित मामले की बाबत, व्यौहारी पर विहित रीति में नोटिस की तामील करेगी जिसमें, उससे विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने या ऐसे किसी साक्ष्य, जिस पर ऐसा व्यौहारी उपधारा(1) के अधीन उस द्वारा दाखिल विवरणियों के समर्थन में निर्भर रह सकेगा, पेश करने या पेश करवाने की अपेक्षा की जाएगी और व्यौहारी की सुनवाई करने तथा उस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य (सबूत) पर विचार करने के पश्चात्, उससे देय कर की रकम, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझे तो यह किसी व्यौहारी की बाबत, जिसका सकल आवर्त एक वर्ष में ऐसी रकम से अधिक नहीं होता है, जिसे सरकार, किसी भी वर्ष के लिए स्वतः निर्धारण स्कीम, जिसे इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किया जा सकेगा, में विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि यदि कोई व्यौहारी, जिसका कराधेय आवर्त स्वतः निर्धारण स्कीम के अधीन निर्धारित किया गया है, कर का अपवंचन करते पाया जाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उसे निर्धारित कर की रकम के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में, राशि जो सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी परन्तु जो अपवंचित और निर्धारित पाई गई कर की रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, संदत्त करने का निदेश देगा।

(4) निर्धारण प्राधिकारी व्यौहारी को, जो उप-धारा (1) के अधीन न आता हो, विहित रीति में नोटिस की तामील करेगा जिसमें, उससे उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और स्थान पर या तो व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने या ऐसे किसी साक्ष्य, जिस पर ऐसा व्यौहारी अपनी विवरणियों के समर्थन में निर्भर रह सकेगा, को पेश करने या पेश करवाने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसे साक्ष्य, जिसे व्यौहारी प्रस्तुत कर सकेगा, और ऐसा अन्य साक्ष्य, जिसकी निर्धारण प्राधिकारी विनिर्दिष्ट प्रश्नों (प्वाइन्ट्स) पर अपेक्षा करे, की सुनवाई करने के पश्चात्, व्यौहारी से देय रकम का निर्धारण करेगा।



(5) यदि कोई व्यौहारी, जिसने किसी अवधि के बारे में विवरणियां दे दी हों, उप-धारा (2) या (4) के अधीन जारी किए गए नोटिस के निबन्धनों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर, व्यौहारी से देय कर की रकम को अपनी सर्वोत्तम विवेक-बुद्धि के अनुसार, निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा।

(6) यदि कोई व्यौहारी, किसी अवधि के बारे में विहित तारीख तक विवरणियां नहीं देता है, तो निर्धारण प्राधिकारी, ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात्, पांच वर्ष के भीतर व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, अपनी सर्वोत्तम विवेक-बुद्धि के अनुसार, व्यौहारी से देय कर की रकम, यदि कोई हो, निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा।

(7) यदि किसी सूचना पर, जो उसके कब्जे में आई है, निर्धारण प्राधिकारी का समाधान हो जाता है, कि कोई व्यौहारी किसी अवधि के बारे में इस अधिनियम के अधीन कर संदत्त करने का दायी है, किन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहा है, तो निर्धारण प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् पांच वर्ष के भीतर, व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी अवधि और पश्चात्वर्ती सभी अवधियों के बारे में व्यौहारी से देयकर की रकम, यदि कोई हो, अपनी सर्वोत्तम विवेक-बुद्धि के अनुसार, निर्धारित करने के लिए अग्रसर होगा और उन मामलों में जहां ऐसा व्यौहारी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में ज़रूरत कर असफल रहा है, वहां निर्धारण प्राधिकारी यह निदेश करेगा कि व्यौहारी निर्धारित कर की रकम के अतिरिक्त, इस प्रकार निर्धारित कर की रकम के दुगुने तक की राशि किन्तु जो कर की रकम के एक सौ प्रतिशत से कम नहीं होगी, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति या ब्याज की रकम व्यौहारी द्वारा ऐसी तारीख तक, जो उस प्रयोजन के लिए निर्धारण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, संदत्त की जाएगी और इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख ऐसे नोटिस की तामील की तारीख से पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी और तीस दिन से अधिक नहीं होगी :

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिले के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ऐसे संदाय की तारीख को बढ़ा सकेगा किन्तु नब्बे दिन से अधिक नहीं, या पर्याप्त प्रतिभूति या बैंक गारन्टी के विरुद्ध तीन से अनधिक मासिक किश्तों द्वारा संदाय अनुज्ञात कर सकेगा।

(9) यदि इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कर या उस की कोई किश्त, किसी व्यौहारी द्वारा, निर्धारण नोटिस या किश्तों में संदाय अनुज्ञात करने वाले आदेश में उस के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, तो आयुक्त या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी का, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो उससे देय राशि से अधिक नहीं होगी किन्तु जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगी।



(10) इस धारा के अधीन किया गया कोई निर्धारण इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

#### 34. चैक पोस्टों या बैरिअरों की स्थापना और अभिवहन में माल का निरीक्षण.—(1)

यदि, इस अधिनियम के अधीन कर के अपवंचन को निवारित करने या उसकी जांच पड़ताल करने की दृष्टि से, राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो, वह अधिसूचना द्वारा, किसी ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो अधिसूचित किए जाएं, चैक पोस्ट की स्थापना या किसी बैरिअर के परिनिर्माण अथवा दोनों के लिए निदेश दे सकेगी।

(2) माल गाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, यथास्थिति, माल गाड़ी अभिलेख, यात्रा पत्र, या लॉगबुक और कारबार के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के बारे में जो, यथास्थिति, माल गाड़ी या जलयान में ले जाया जा रहा है, विक्रय बिल या ऐसी विशिष्टियों से युक्त परिदान नोट, जैसा विहित किया जाए, अपने साथ रखेगा और उसे चैक पोस्ट या बैरिअर के प्रभारी अधिकारी अथवा किसी स्थान पर, यान या जलयान की जांच करने वाले, किसी अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(2-क) राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं में प्रवेश करने वाले या राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलने वाले माल यान या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केवल निकटतम चैक पोस्ट या बैरिअर से ही गुजरेगा, ऐसा न करने पर ऐसा स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, इस धारा के लिए उपबन्धित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा।

(3) जब उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, जो प्रत्येक चैक पोस्ट या बैरिअर अथवा किसी अन्य स्थान पर, मालगाड़ी या जलयान का चालक या कोई अन्य भारसाधक व्यक्ति, यथास्थिति, यान या जलयान को रोकेगा और उसे उतनी देर तक, जितनी युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हो खड़ा रखेगा और चैक पोस्ट या बैरिअर के भार साधक अधिकारी या पूर्वोक्त अधिकारी को यान या जलयान में रखी अन्तर्वस्तु का पैकेज या पैकेजों को खोल कर, यदि आवश्यक हो, परीक्षण करना अनुज्ञात करेगा और वहन किए गए माल से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करेगा जो चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति के कब्जे में हो, वह ऐसी अन्य सूचना भी देगा जैसी उपर्युक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और यदि आवश्यक समझा जाए तो ऐसा अधिकारी मालगाड़ी या जलयान और माल के या यान के या जलयान के चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति की तलाशी भी ले सकेगा।



(4) राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाली या राज्य की सीमाओं से बाहर निकलने वाली मालगाड़ी या जलयान या स्वामी या भारसाधक व्यक्ति चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी के समक्ष तीन प्रतियों में एक घोषणा (इलैक्ट्रोनिकली तैयार की गई या अन्यथा) भी देगा, जिसमें, यथास्थिति, ऐसे यान या जलयान में ले जाए जा रहे माल की ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं, और उक्त अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित और उसे लौटाई गई उक्त घोषणा की प्रति उसे या इस धारा के अधीन जांच पड़ताल के समय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु जहां राज्य के बाहर किसी स्थान को जाने वाली माल गाड़ी या जलयान राज्य में से होकर गुजरता है, वहां ऐसी मालगाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, राज्य में अपने प्रवेश की, चैक पोस्ट या बैरिअर के प्रभारी अधिकारी को, विहित प्ररूप में, एक घोषणा दो प्रतियों में देगा और उससे सम्यक् रूप से सत्यापित एक प्रति अभिप्राप्त करेगा । यथास्थिति, मालगाड़ी या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति राज्य से बाहर अपने निकासी के स्थल पर उक्त प्रति, चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी को बहत्तर घण्टों के भीतर परिदत्त करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रवेश के चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, जो माल के मूल्य के पचास प्रतिशत के बराबर होगी, संदत्त करने का दायी होगा :

परन्तु यह और कि कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया है :

परन्तु यह और कि जहां ऐसे यान द्वारा वहन किया गया माल, राज्य में उसके प्रवेश के पश्चात्, किसी यान या वाहन द्वारा राज्य से बाहर वाहित किया जाता है, तो यान या जलयान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति पर यह साबित करने का भार होगा कि माल वास्तव में राज्य से बाहर गया है ।

(5) किसी रेल सीमान्त या डाकघर से भिन्न, माल परिवहन के प्रत्येक स्टेशन, बस-अड्डे या माल चढ़ाने या उतारने के किसी अन्य स्टेशन या स्थान पर, जब आयुक्त द्वारा या धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा जब ऐसी अपेक्षा की जाए तब मालगाड़ी का चालक या स्वामी या परिवहन कम्पनी अथवा माल बुकिंग अभिकरण का कर्मचारी, उस द्वारा विहित रीति में रखी गई और वहन, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए, उतारे गए, पारेषित या परिवहन के लिए प्राप्त माल से सम्बद्ध परिवहन की रसीदें, और अन्य सभी दस्तावेज तथा लेखा बहियां (जो उस द्वारा विहित रीति से रखी गई हैं) परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा । आयुक्त या इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को ऐसी परिवहन रसीदें या अन्य दस्तावेज अथवा लेखा बहियां, वहन किए गए, परिवहन किए गए, चढ़ाए गए, उतारे गए, या पारेषित या परिवहन के लिए प्राप्त माल के बारे में परीक्षण के प्रयोजन के लिए ऐसे माल के किसी पैकेज या किन्हीं पैकेजों को तोड़ने की शक्ति प्राप्त होगी ।

(6) यदि चैक पोस्ट या बैरिअर के भारसाधक अधिकारी या उप-धारा (2) में वर्णित अन्य अधिकारी के पास यह सन्देह करने का कारण हो कि परिवहन के अधीन माल कारबार के लिए है और,



यथास्थिति, उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में यथावर्णित समुचित और वास्तविक दस्तावेजों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, या माल वहन करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन देय कर के संदाय का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वह कारण अभिलिखित करते हुए और उक्त व्यक्ति को सुनने के पश्चात् परन्तु बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन ऐसी अवधि के लिए जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, माल को उतारने और निरुद्ध रखने का आदेश कर सकेगा और कर की रकम सुनिश्चित करने के लिए, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा माल के स्वामी की ओर से यान या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा, उसकी तुष्टि की प्रतिभूति माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर नकद या बैंक गारण्टी या बैंक ड्राफ्ट के रूप में देने पर ही उसे वहन करना अनुज्ञात करेगा :

परन्तु जहां किसी माल को निरुद्ध किया जाता है, वहां माल निरुद्ध करने वाले अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, जिला के प्रभारी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला या बैरिअर के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी को तुरन्त या किसी भी दशा में माल निरुद्ध करने के चौबीस घण्टे के भीतर, रिपोर्ट की जाएगी, जब कभी माल को चौबीस घण्टे से अधिक की किसी अवधि के लिए निरुद्ध करना अपेक्षित हो तो इसके पश्चात् कथित की अनुज्ञा मांगी जाएगी और यदि पश्चात् कथित से कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त नहीं होती, तो पहला यह धारणा कर सकेगा कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है।

(7) माल निरुद्ध करने वाला अधिकारी माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा चालक या माल गाड़ी अथवा जलयान के अन्य भारसाधक व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को, यदि कोई हो, अभिलिखित करेगा और उससे, यथास्थिति, उप-धारा (2) या उप-धारा (4) में यथा निर्दिष्ट समुचित और वास्तविक दस्तावेज विनिर्दिष्ट तारीख को अपने सम्क्ष, अपने कार्यालय में प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा, जिस तारीख को अधिकारी सम्बद्ध अभिलेखों सहित कार्यवाही को ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा विषय में आवश्यक जांच संचालित करने के लिए उस निमित्त प्राधिकृत किया जाए प्रस्तुत करेगा, उक्त अधिकारी जांच संचालित करने से पूर्व, माल के स्वामी पर एक नोटिस तामील करेगा और उसे सुनवाई का अवसर देगा और यदि, जांच के पश्चात् ऐसे अधिकारी का यह निष्कर्ष हो कि इस अधिनियम के अधीन देय कर का अपवंचन करने का प्रयत्न किया गया है तो वह, आदेश द्वारा माल के स्वामी पर माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति अधिरोपित करेगा और उस दशा में जब उसका निष्कर्ष अन्यथा हो माल को छोड़ देने का आदेश देगा।

(8) यदि माल का स्वामी या उसका प्रतिनिधि या माल गाड़ी या जलयान का चालक या अन्य भारसाधक व्यक्ति, माल या मालगाड़ी या जलयान को निरुद्ध करने की तारीख से दस दिन के भीतर उप-धारा (6) द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिभूति नहीं देता है या बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता है, तो उस



उप-धारा में निर्दिष्ट अधिकारी माल को और आगे के लिए निरुद्ध करने का आदेश कर सकेगा और शास्ति अधिरोपित करने के आदेश की तारीख से बीस दिन के भीतर उप-धारा (7) के अधीन अधिरोपित शास्ति संदत्त न करने की दशा में निरुद्ध माल उस अधिकारी जिसने शास्ति अधिरोपित की है, विहित रीति में सार्वजनिक नीलामी द्वारा, शास्ति की वसूली के लिए, विक्रय किए जाने के लिए दायी होगा। यदि निरुद्ध माल नाशवान प्रकृति का है या शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है अथवा जब ऐसा संभाव्य है कि उसे अभिरक्षा में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक होगा, तब, यथास्थिति, चैक पोस्ट या बैरिअर का भार साधक अधिकारी या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी, ऐसे माल को तुरन्त बेच देगा या उसका अन्यथा ब्ययन करेगा। विक्रय आगम को सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा और माल का स्वामी, माल को निरुद्ध करने और व्ययन करने में उपगत खर्च और अन्य आनुषंगिक प्रभारों में कटौती करने के पश्चात् केवल आगम की अतिशेष रकम का हकदार होगा।

(9) माल-निरुद्ध करने वाला अधिकारी, माल के स्वामी या उसके प्रतिनिधि अथवा मालगाड़ी या जलयान के चालक या भारसाधक व्यक्ति को इस प्रकार निरुद्ध किए गए माल का विवरण और परिमाण विनिर्दिष्ट करते हुए रसीद जारी करेगा और ऐसे व्यक्ति से अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करेगा या यदि ऐसा व्यक्ति अभिस्वीकृति देने से इन्कार करता है, तो दो साक्षियों की उपस्थिति में इन्कार करने का तथ्य अभिलिखित करेगा।

(10) यदि इसी बीच उप-धारा (6) के अधीन माल निरुद्ध करने या उप-धारा (7) या उप-धारा (8) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का आदेश अपील में या अन्य कार्यवाहियों में अपास्त या उपान्तरित कर दिया जाता है, तो, यथास्थिति, माल निरुद्ध करने वाला या शास्ति अधिरोपित करने वाला अधिकारी, यथास्थिति, ऐसी अपील में या अन्य कार्यवाहियों में किए गए आदेशों को प्रभावशील बनाने के लिए परिणामिक आदेश भी पारित करेगा।

(11) कोई व्यौहारी या कोई व्यक्ति जिसके अन्तर्गत किसी व्यौहारी की ओर से कार्य करने वाला माल वाहक या परिवहन कम्पनी या बुकिंग अभिकरण का अभिकर्ता है, किसी जलयान, स्टेशन, विमान पतन या किसी अन्य स्थान से, चाहे समरूप प्रकृति का हो या अन्यथा, निजी सामान या निजी उपयोग के लिए माल से भिन्न, माल के किसी प्रेषण जिनका विक्रय या क्रय इस अधिनियम के अधीन कराधेय है, सिवाए ऐसी शर्तों के अनुसार जो यह सुनिश्चित करने के लिए विहित की जाएं कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर का कोई अपवंचन नहीं किया है, परिदान नहीं लेगा या परिवहन नहीं करेगा :

परन्तु कोई भी स्थान, राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अधिसूचित नहीं किया जाएगा, जो रेल सीमान्त या डाकघर है।



(12) जहां मालयान या जलयान का कोई प्रभारी व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट चैक पोस्ट या बैरियर के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो माल का प्रेषण करने वाले या माल के प्रेषिती की बाबत उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है या माल का वहन बिना दस्तावेजों के या वास्तविक दस्तावेजों के बिना करता है, या उन बिलों के अन्तर्गत वहन किए जाने के लिए तात्पर्यित प्रेषण के बिना बैरियर पर घोषणा के लिए बिल प्रस्तुत करता है, तो अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधन अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे भारसाधक व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर की रकम शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा :

परन्तु राज्य की सीमाओं से बाहर जाने वाले मालयान या जलयान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति से, जिसने यान में वहन किए जा रहे माल की पूर्ण घोषणा विभाग की ऑफिशियल वैबसाइट के माध्यम से इलैक्ट्रोनिकली मूल्य परिवर्धित कर प्ररूप 26-क में प्रस्तुत कर दी है, इस धारा के प्रयोजन के लिए चैक पोस्ट या बैरियर पर यान या जलयान को रोकना अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह और कि चैक पोस्ट या बैरियर का भारसाधक अधिकारी या चैक पोस्ट या बैरियर पर तैनात कोई अन्य अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, यदि आवश्यक समझे, तो वह इस धारा के प्रयोजन के लिए यान या जलयान को रोक सकेगा, यान या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति इसे रोकेगा और इसको उतनी देर तक खड़ा रखेगा जितनी युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, ऐसा न करने पर ऐसा स्वामी या भारसाधक व्यक्ति ऐसे अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति, जो माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर या दस हजार रुपए, जो भी अधिकतम हो, संदत्त करने के लिए दायी होगा।

**स्पष्टीकरण-I.**—इस धारा में पद "मालगाड़ी" का वही अर्थ होगा जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (14) में इसका है।

**स्पष्टीकरण-II.**—उप-धारा (2) के प्रयोजनों के लिए निजी उपयोग के प्रयोजनों के लिए माल का यह अर्थ नहीं लिया जाएगा कि यह कारबार के प्रयोजनार्थ है।

**स्पष्टीकरण-III.**—उप-धारा (7) के प्रयोजनों के लिए स्वामी के प्रतिनिधि या माल गाड़ी या जलयान के चालक अथवा अन्य भारसाधक व्यक्ति पर नोटिस की तामील माल के स्वामी पर विधिमान्य तामील समझी जाएगी।



*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

BILL NO. 6 OF 2015

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX  
(AMENDMENT) BILL, 2015**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX  
(AMENDMENT) BILL, 2015**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

*Clauses:*

1. Short title.
2. Amendment of section 4.
3. Amendment of section 7.
4. Amendment of section 21.
5. Amendment of section 34.
6. Insertion of new section 50-A.

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX  
(AMENDMENT) BILL, 2015**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2015. Short title.

5           2. In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in sub-section (6), in clause (c), for the figures and signs "5,00,000/-", the figures and signs "8,00,000/-" shall be substituted. Amendment of section 4.

10           3. In section 7 of the principal Act, for second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— Amendment of section 7.

"Provided further that a registered dealer who imports goods for sale shall pay tax on the sale of such goods imported from outside the State on actual basis i.e. as per tax applicable on the sale of such goods within the State."

15           4. In section 21 of the principal Act,— Amendment of section 21.

(a) in sub-section(1), after the words, signs and figure "sub-section(2)", the words "in the manner prescribed" shall be inserted.;

20           (b) in proviso to sub-section (1), for the words "fifteen days", the words "thirty days" shall be substituted. ;  
and



(c) the Explanation appearing after proviso to sub-section(1) shall be omitted.

Amendment  
of section  
34.

5. In section 34 of the principal Act, in sub-section (12), in first proviso, after the words "or vessel leaving", the words "or entering" shall be inserted.

5

Insertion of  
new section  
50-A.

6. After section 50 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"50-A. Locking of Tax Identification Number and suspension of e-services.—(1) Notwithstanding anything contained in section 50, any person who is registered under this Act, fails to pay any tax, penalty or interest payable under the Act or fails to furnish return(s) by the prescribed date or has filed incomplete or incorrect return or has conducted transactions as per data available in the software being used by the Department but has not filed corresponding returns or no business at the declared place is being conducted or deliberately avoids service of notice or has failed to comply with the requirements of any notice, the prescribed authority or the Assessing Authority may, after obtaining the approval of the next higher authority, lock his Tax Identification Number and or suspend the e-services being availed by him as he deems fit, without prejudice to any other action which may be taken against him under this Act or the rules made thereunder:

10

15

20

Provided that a notice shall be issued immediately after locking of the Tax Identification Number and or suspension of e-services by such authority to the person concerned informing him about the action taken alongwith reasons thereof. The locked Tax Identification Number and suspended e-services shall be restored immediately after furnishing evidence of payment of tax, interest, penalty or furnishing of overdue returns, or on compliance of any other action which such persons had been directed to take, as the case may be.

25

(2) In all cases where the Tax Identification Number has been locked and e-services suspended or restored under sub-section (1), such authority shall display the fact on the official website of the Department and also inform the Commissioner within twenty four hours.

30

*Explanation.*— For the purpose of this section, locking of Tax Identification Number and suspension of e-services means temporary stoppage of inter-state movement of goods of the concerned person and withholding of e-services being provided by the Department for the purpose of verification, compliance or for any other purpose."

35

**AUTHENTICATED**

मन्त्री (आवकारी एवं कसनात्र)  
विभागाचल प्रवेश



## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, under clause (c) of sub-section (5) of section 4, exempt the small establishments such as hotel, restaurant, bakery or other similar establishments in which food preparations including tea is served and their gross turnover during the year is upto 5,00,000/- rupees, from registration and payment of tax. It is felt that this limit of taxable quantum of Rs.5,00,000/- is too low, therefore, the same is proposed to be increased to Rs.8,00,000/-. Registration of such dealers only creates more work disproportionate to the income realised from them. Thus, it is considered necessary to exempt dhabas, halwai, chai and chaat shops and other eateries having gross turnover upto 8 lakh rupees during the year from payment of tax. Apart from this, it has also been considered just and reasonable to extend the Scheme for payment of lump sum tax to the dealers making inter-state purchases enabling them to opt for this Scheme which will result in easy realization of revenue. With a view to ease the congestion at the multi purpose barriers and further to provide hassle free services to the dealers carrying business in the course of inter-state trade and commerce, it is considered necessary to make provision for the vehicle owners or person-in-charge of goods carriage or vessel entering the State limits and who has furnished full declaration of goods carried in vehicle or vessel in Form VAT XXVI-A electronically through official web-site of the department to not to stop such vehicle at the check post or barrier mandatorily, however, the said vehicle or vessel, if required by the officer -in-charge of the check-post or barrier or any officer not below the rank of Excise and Taxation Inspector posted at the check-post or barrier, for the purpose of section 34, shall stop such vehicle. Thus, in order to bring provision of section 34 in consonance with the system of electronically declaration of goods, it is considered necessary to carryout suitable amendments. Further to streamline the procedure for deemed assessment and to simplify the process related to the same, it is considered necessary to make enabling provisions in the Act *ibid* and to dispense with the requirement of calling such dealers to the office for the purpose of assessment. Further, in order to provide efficient tax administration and to ensure better compliance, the Assessing Authority is proposed to be allowed to lock Tax Identification Number (TIN) and suspend e-services in case of defaulting and non responsive dealers. As such, it has been decided to amend the Act *ibid* accordingly.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Shimla:  
The , 2015.

AUTHENTICATED

(PRAKASH CHAUDHARY)

Minister-in-Charge.

मन्त्री (आवकास एवं कर/धन),  
हिमाचल प्रदेश

---

## **FINANCIAL MEMORANDUM**

Clause 2 of the Bill if enacted will result in very nominal loss to the State Exchequer which cannot be quantified.

---

## **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Clause 4 of the Bill seeks to empower the State Government to prescribe the manner for assessment of tax. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

---

## **RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA**

(File No.EXN-F(10)-2/2015)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax(Amendment) Bill,2015, recommends, under article 207 of the Constitution of India, introduction and consideration of the Bill by the Legislative Assembly.



**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL,  
2015**

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).*

**(PRAKASH CHAUDHARY)**

*Minister-in-charge.*


**(DEVENDR KUMAR SHARMA)**

*Principal Secretary (Law).*

SHIMLA :

The....., 2015

**AUTHENTICATED**

  
मन्त्री (आवकरो एव करधान)  
हिमाचल प्रदेश

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH VALUE  
ADDED TAX ACT, 2005 (ACT No. 12 OF 2005) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS  
AMENDMENT BILL**

*Sections :*

**4. Incidence of taxation.**—(1) Subject to the provision of section 6,7, and sub-section (2) of section 16, every dealer (except one dealing exclusively in goods declared tax free under section 9) whose gross turnover during the year immediately preceding the commencement of this Act exceeded the taxable quantum shall be liable to pay tax under this Act on all sales effected and purchases made after the coming into force of this Act.

(2) Every dealer, who does not deal exclusively in goods declared to be tax free under section 9, shall be liable to pay tax under this Act from the date on which his gross turnover during any year first exceeds the taxable quantum.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections(1) and (2) no tax on the sale of any goods shall be levied if a tax on their purchase is levied under this Act.

(4) Every dealer who has become liable to pay tax under this Act shall continue to be so liable until the expiry of three consecutive years during each of which his gross turnover has failed to exceed the taxable quantum and such further period after the date of such expiry as may be prescribed, and on the expiry of this later period his liability to pay tax shall cease.

(5) Every dealer, whose liability to pay tax has ceased under the provisions of sub-section (4), shall again be liable to pay tax under this Act with effect from the date on which his gross turnover first exceeds the taxable quantum.

(6) In this Act, the expression “taxable quantum” means, —

(a) in relation to any dealer who imports for sale or use in manufacturing or processing any goods in Himachal Pradesh: Rupee 1/-;

(b) in relation to any dealer, who himself manufactures or produces any goods for sale: Rs.4,00,000/- ;



- (c) in relation to any dealer, who runs a hotel, restaurant, bakery or other similar establishment wherein food preparations including tea, are served: Rs. 5,00,000/- ;
- (d) in relation to any particular classes of dealers not falling within clauses (a), (b) and/or (c), such sum as may be prescribed; or
- (e) in relation to any other dealer: Rs.8,00,000/-:

Provided that the registration of dealers already registered under this clause shall not be cancelled until their turnover in each of three consecutive years does not entitle them to cancellation under sub-section (4).

**7. Levy of presumptive tax.**—Notwithstanding anything contained in this Act, every registered dealer, whose gross turnover in any year does not exceed such amount as may be prescribed, shall, in lieu of the tax payable under this Act, pay presumptive tax on the entire taxable turnover of sales or purchases, as the case may be, at such rates, not exceeding the rates specified in section 6, as the State Government may, by notification, direct, and subject to such conditions and restrictions and in such manner as may be prescribed:

Provided that no input tax credit shall be available to such dealer:

Provided further that no registered dealer, except a brick-kiln owner, who imports goods for sale or use in manufacturing or processing any goods for sale, shall be entitled to make payment of presumptive tax under this section.

**21. Assessment of tax.**— (1) The returns furnished by a dealer shall be duly acknowledged in the manner prescribed and where all the returns relating to any year have been filed and are correct and complete in material particulars, the dealer shall, subject to the provisions of sub-section (2), be deemed to have been assessed for that year:

Provided that where the returns are not complete in material particulars, the dealer shall be given an opportunity to complete the same within fifteen days of service of the notice.

*Explanation.*— For the purpose of sub-section (1) a return shall be deemed to be—



- 1
- (i) correct, if its version conforms to that of the accounts maintained by the dealer and the account version cannot be impeached by any adverse information available on record till 31<sup>st</sup> December of the following year; and
  - (ii) complete, in material particulars, if it contains the entire information required to be furnished therein, is correct arithmetically and is accompanied by the statutory or prescribed lists, documents and proof of payment of the full amount of tax due according to the returns and is duly signed by the dealer.

(2) The State Government may prescribe the manner of selection of cases for scrutiny of returns filed by the dealers specified in sub-section (1) and the Assessing Authority shall, in respect of each selected case, serve on the dealer a notice in the prescribed manner requiring him, on a date and at a place specified therein, either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which such dealer may rely in support of the returns filed by him under sub-section (1) and after hearing the dealer and considering the evidence produced by him assess the amount of tax, if any, due from him.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, if the Government considers it necessary and expedient, in public interest so to do, it may in respect of a dealer, whose gross turnover in a year does not exceed such amount as the Government may specify, in a special scheme of self-assessment for any year which may be notified, under this Act:

Provided that in case any dealer, whose taxable turnover has been assessed under the self-assessment scheme, is found to have evaded the tax, the Assessing Authority shall, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addition to the amount of tax assessed, a sum which shall not be less than one hundred per centum but which shall not exceed one and a half times of the amount of tax found to have been evaded and assessed.

(4) The Assessing Authority shall serve on the dealer not covered under sub-section (1) a notice in the prescribed manner requiring him, on a date and at a place specified therein, either to attend in person or to produce or cause to be produced any evidence on which such dealer may rely in support of such returns and after hearing such evidence as the dealer may produce, and such other evidence as the Assessing Authority may require on specified points, assess the amount of tax due from the dealer.



(5) If a dealer, having furnished returns in respect of a period, fails to comply with the terms of a notice issued under sub-section (2) or (4), the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, proceed to assess to the best of his judgment the amount of the tax due from the dealer.

(6) If a dealer does not furnish returns in respect of any period by the prescribed date, the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess, to the best of his judgment, the amount of tax, if any, due from the dealer.

(7) If upon information which has come into his possession, the Assessing Authority is satisfied that any dealer has been liable to pay tax under this Act in respect of any period but has failed to apply for registration, the Assessing Authority shall, within five years after the expiry of such period, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, proceed to assess, to the best of his judgment, the amount of tax, if any, due from the dealer in respect of such period and all subsequent period and in cases where such dealer has wilfully failed to apply for registration, the Assessing Authority shall direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount of tax assessed, a sum upto double the amount of tax assessed but which shall not be less than one hundred per centum of the amount of tax so assessed.

(8) The amount of any tax, penalty or interest payable under this Act shall be paid by the dealer by such date as may be specified in the notice issued by the Assessing Authority for the purpose and the date so specified shall not be less than fifteen days and not more than thirty days from the date of service of such notice:

Provided that the Assessing Authority may, with the prior approval of the Assistant Excise and Taxation Commissioner or the Excise and Taxation Officer-in-charge of the district, extend the date of such payment, but not more than 90 days, or allow payment by monthly instalments not exceeding three, against an adequate security or a bank guarantee.

(9) If the tax assessed under this Act or any instalment thereof is not paid by any dealer within the time specified therefor in the notice of assessment or in the order permitting payment in instalments, the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, may after giving such dealer an opportunity of being heard, impose on him a penalty not exceeding the sum due from him but which shall not be less than one thousand rupees.

(10) Any assessment made under this section shall be without prejudice to any penalty imposed under this Act.



**34. Establishment of check-posts or barriers and inspection of goods in transit.—**

(1) If, with a view to preventing or checking evasion of tax under this Act, the State Government considers it necessary so to do, it may, by notification direct the establishment of a check post or the erection of a barrier or both at such place or places as may be notified.

(2) The owner or person in-charge of a goods carriage or vessel shall carry with him a goods carriage record, a trip sheet or a log book, as the case may be, and a tax invoice or a bill of sale or a delivery note containing such particulars as may be prescribed, in respect of such goods, meant for the purpose of business, and produce the same before an officer in-charge of a check post or barrier or any other officer not below the rank of an Excise and Taxation Inspector checking the vehicle or vessel at any place.

(2-A) The owner or the person-in-charge of a goods vehicle or vessel entering the limits of the State or leaving the State limits shall, for the purposes of this section, only pass through and stop at the nearest check post or barrier, failing which such owner or person-in-charge shall be liable to pay a penalty, to be imposed by any officer referred to in sub-section(2) equal to ten per centum of the value of goods or ten thousand rupees whichever is greater and such penalty shall be in addition to any other penalty provided for in this section.

(3) At every check post or barrier or at any other place when so required by any officer referred to in sub-section (2), the driver or any other person-in-charge of the goods carriage or vessel, shall stop the vehicle or vessel, as the case may be, and keep it stationary as long as may reasonably be necessary, and allow the officer-in-charge of the check post or barrier or the aforesaid officer to examine the contents in the vehicle or vessel and inspect all records relating to the goods carried which are in the possession of such driver or other person-in-charge, who shall also furnish such other information as may be required by the aforesaid officer, and if considered necessary such officer may also search the goods carriage or vessel and the driver or other person-in-charge of the vehicle or vessel or of the goods.

(4) The owner or person-in-charge of a goods carriage or vessel entering the limits of State or leaving the State limits shall also give in triplicate a declaration (generated electronically or otherwise) containing such particulars of goods carried in such vehicle or vessel, as the case may



be, before the officer-in-charge of the check post or barrier and shall produce the copy of the said declaration duly verified and returned to him by the said officer or before any other officer referred to in sub-section (2) at the time of checking under this section:

Provided that where a goods carriage or vessel bound for any place outside the State passes through the State, the owner or person-in-charge of such vehicle or vessel shall furnish, in duplicate, to the officer-in-charge of the check post or barrier of his entry into the State a declaration in the prescribed form and obtain from him a copy duly verified. The owner or person-in-charge of the goods carriage or vessel, as the case may be, shall deliver within seventy two hours the said copy to the officer-in-charge of the check post or barrier at the point of its exit from the State, failing which he shall be liable to pay a penalty to be imposed by the officer-in-charge of the check post or barrier of the entry equal to fifty per centum :

Provided further that where the goods carried by such vehicle are, after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the burden of proving that the goods have actually moved out of the State, shall lie on the owner or person-in-charge of the vehicle or vessel :

Provided further that no penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard.

(5) At every station of transport of goods, bus stand or any other station or place of loading or unloading of goods, other than a rail head or a Post Office, when so required by the Commissioner, or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3, the driver or the owner of goods carriage or the employee of a transport company or goods booking agency shall produce for examination transport receipt and all other documents and account books concerning the goods carried, transported, loaded, unloaded, consigned or received for transport (maintained by him in the prescribed manner). The Commissioner or the person so appointed shall, for the purpose of examining that such transport receipts or other documents or account books are in respect of the goods carried, transported, loaded, unloaded, or consigned or received for transport, have the powers to break open any package or packages of such goods.

(6) If the officer-in-charge of the check post or barrier or other officer as mentioned in sub-section (2) has reasons to suspect that the goods under transport are meant for business and are not covered by proper and genuine documents as mentioned in sub-section (2) or sub-section (4), as the case may be, or that the person transporting the goods is attempting to evade payment of tax due under this Act, he may, for reasons to be recorded in writing and after hearing the said person, but subject to previous approval of the Excise and Taxation Officer Incharge of the



barrier order the unloading or detention of the goods, for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to be transported only on the owner of goods or his representative or the driver or other person in-charge of the goods carriage or vessel on behalf of the owner of the goods, furnishing to his satisfaction a security in the form of cash or bank guarantee or bank draft, equal to twenty-five per centum of the value of the goods :

Provided that where any goods are detained a report shall be made immediately and in any case within twenty four hours of the detention of the goods by the officer detaining the goods to the Assistant Excise and Taxation Commissioner incharge of the District or the Excise and Taxation Officer incharge of the District or barrier, as the case may be, seeking the latter's permission for the detention of the goods for a period exceeding twenty-four hours, as and when so required and if no intimation to the contrary is received from the latter the former may assume that his proposal has been accepted.

(7) The officer detaining the goods shall record the statement, if any, given by the owner of the goods or his representative or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel and shall require him to produce proper and genuine documents as referred to in sub-section (2) or sub-section (4), as the case may be, before him in his office on a specified date on which date the officer shall submit the proceeding along with the connected records to such officer as may be authorised in that behalf by the State Government for conducting necessary enquiry in the matter. The said officer shall, before conducting the enquiry, serve a notice on the owner of the goods and give him an opportunity of being heard and if, after the enquiry, such officer finds that there has been an attempt to evade the tax due under this Act, he shall, by order, impose on the owner of the goods a penalty equal to twenty-five per centum of the value of the goods and in case he finds otherwise, shall order the release of the goods.

(8) If the owner of the goods or his representative or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel does not furnish security or does not execute the bond as required by sub-section (6) within ten days from the date of detaining the goods or goods carriage or vessel, the officer referred to in that sub-section may order further detention of the goods and in the event of the owner of the goods not paying the penalty imposed under sub-section (7) within twenty days from the date of the order imposing the penalty, the goods detained shall be made liable to be sold by the officer, who imposed the penalty, for the realisation of the penalty by public auction as may be prescribed . If the goods detained are of a perishable nature or subject to speedy or natural decay or when the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value the officer -in-charge of the check post or barrier or any other officer referred to in sub-section (2), as the case may be, shall immediately sell such goods or otherwise dispose them of. The sale proceeds shall be deposited in the Government treasury and the owner of the goods shall



be entitled to only the balance amount of sale proceeds after deducting the expenses and other incidental charges incurred in detaining and disposing of the goods.

(9) The officer detaining the goods shall issue to the owner of the goods or his representative or the driver or the person-in-charge of the goods carriage or vessel receipt specifying the description and quantity of the goods so detained and obtain an acknowledgement from such person or if such person refuses to give an acknowledgment, record the fact of refusal in the presence of the two witnesses.

(10) If the order of detention of goods under sub-section (6) or of imposition of penalty under sub-section (7) or sub-section (8) is in the meantime set aside or modified in appeal or other proceedings, the Officer detaining the goods and imposing the penalty, as the case may be, shall also pass consequential orders for giving effect to the orders in such appeal or other proceedings as the case may be.

(11) No dealer or any person, including a carrier of goods or agent of a transport company or booking agency acting on behalf of a dealer, shall take delivery of, or transport, from any vessel, station, airport or any other place, whether of similar nature or otherwise, any consignment of goods other than personal luggage or goods for personal consumption, the sale or purchase of which is taxable under this Act, except in accordance with such conditions as may be prescribed with a view to ensuring that there is no evasion of the tax imposed by or under this Act:

Provided that no place which is a railhead or post-office shall be so notified by the State Government.

(12) Where any person incharge in goods carriage or vessel or any other transporter fails to give information as required under sub-section (2) about the consignor or consignee of the goods, within such time as may be required by the Officer-In-charge of the check post or barrier or other officer as mentioned in sub-section (2), or transports the goods without documents or with ingenuine documents, or presents bills for declaration at the barrier without the consignment purported to be transported under those bills any officer not below the rank of Excise and Taxation Officer checking the goods shall, after affording such owner or person incharge or such transporter a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, equal to ten per centum of the value of such goods:

Provided that the owner or the person-in-charge of goods vehicle or vessel leaving the State limits and who has furnished full declaration of goods carried in vehicle in Form XXVI-A electronically through the official web-site of the department shall not be required to stop the vehicle or vessel, for the purpose of this section, at the check-post or barrier :

Provided further that the officer-in-charge of the check-post or barrier or any other officer not below the rank of Excise and Taxation Inspector posted at the check-post or barrier, if considers necessary, may stop the vehicle or vessel for the purpose of this section, the owner or the person-in-charge of the vehicle or vessel shall stop it and keep it stationary as long as may reasonably be necessary, failing which such owner or person-in-charge shall be liable to pay penalty to be imposed by such officer equal to ten percentum of the value of goods or ten thousand rupees whichever is higher.

*Explanation.-I.*—In this section the expression 'goods carriage' has the same meaning as is assigned to it in clause (14) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988.

*Explanation.-II.*—For the purposes of sub-section (2), the goods meant for the purposes of personal consumption shall not be construed as meant for the purposes of business.

*Explanation.-III.*—For purposes of sub-section (7), service of notice on the representative of the owner or the driver or other person-in-charge of the goods carriage or vessel shall be deemed to be a valid service on the owner of the goods.